By E-Mail

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-निरीक्षण/2020/53808-958 दिनांकः- 03.12.2020

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक,प्रभाराधिकारी
केन्द्रीय जिला/उच्च सुरक्षा कारागृह/,महिला बंदी सुधारगृह
उप कारागृह,/बाल बंदी सुधार गृह,बंदी खुला शिविर,राजस्थान

विषयः-जेलों में अवाँछित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी तथा जेल से संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध **'ऑपरेशन फ्लश आउट'** के अन्तर्गत की जानेवाली अगले चरण की कार्यवाही

प्रसंगः-इस कार्यालय का पत्रांक 665-825 दिनांक 21/11/2020

महोदया/महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि जेलों में मोबाईल फोन, चार्जर, अफीम, चरस आदि मादक पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट ,जर्दा, गुटका एवं अन्य अवांछनीय निषिद्ध वस्तुओं का तस्करी के माध्यम से प्रवेश तथा बंदियों के द्वारा जेलों में आपराधिक गतिविधियों के संचालन पर पूर्ण अंकुश लगाने के महानिदेशालय कारागार द्वारा जेल विभाग की समस्त जेलों में दिनांक 21/11/2020 से **'ऑपरेशन फ्लश आउट'** के नाम से एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है।

इस अभियान के प्रारंभिक लगभग दो सप्ताहों की अवधि की समीक्षा के परिणाम उत्साहवर्धक एवं सराहनीय हैं। अभियान के अन्तर्गत अब तक राज्य की कारागृहों में सघन तलाशियों में 35 मोबाईल फोन, 16 सिमकार्ड, 13 चार्जर, 10 ईयरफोन तथा 05 डेटा केबल बरामद की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त सिगरेट, तम्बाकू, चूने की टयूब आदि निषिद्ध सामग्री भी बरामद की गई हैं।

'ऑपरेशन फ्लश आउट' के क्षेत्र को विस्तारित करते हुए निम्न प्रकार से **आगामी कार्यवाही** करने के निर्देश एतद्द्वारा दिये जाते हैं:-

1. इस अभियान के अन्तर्गत राज्य की समस्त जेलों की **सघन तलाशी** समय-समय पर आकस्मिक रूप से दिन अथवा रात में ली जावे तथा अवांछित वस्तुओं की बरामदगी कर संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये। चूंकि अभियान के प्रथम दो सप्ताह में सभी कारागृहों के सघन तलाशियां लेकर सभी अवांछनीय वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं अथवा उनका होना ही नहीं पाया गया है, अतः भविष्य में इस **प्रकार की अवांछनीय एवं निषिद्ध वस्तुएं** बरामद होने पर अविलम्ब **प्रारंभिक जाँच कर इस अपचारिता एवं आपराधिकता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण** किया जाये तथा अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही कर मुख्यालय को अवगत कराया जाये।

2. अवांछनीय वस्तुओं की तस्करी, बंदियों एवं उनके परिजनों से सुविधाएं देने के नाम पर चौथ वसूली आदि **आपराधिक कृत्यों में लिप्त जेल के स्टाफ को चिन्हित कर कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही** की जाये अथवा प्रस्तावित की जाये। सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की समय-समय पर संपर्क सभा ली जाकर यह अवगत करा दिया जाये कि राज्य सरकार की **'जीरो टॉलरेन्स'** की नीति की पालना में **भ्रष्टाचार, मिलीभगत तथा आपराधिक गतिविधियां** कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। **There will be Zero Tolerance for Corruption,Connivance and Criminal activities of the jail staff.** अभी हाल ही में केन्द्रीय कारागृह, कोटा में तम्बाकू और चूने की ट्यूब की तस्करी कर जेल में बंदियों को उपलब्ध कराने हेतु ले जा रहे 5 जेल कर्मियों को रंगे हाथों पकड़कर उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, जो अभियान की भावना के अनुरूप है।

3. विभिन्न जेलों में बंद ऐसे बंदी,जो जेल में आतंक का पर्याय बन अन्य बंदियों के साथ मारपीट, चौथ वसूली, शराब पार्टी, दादागिरी कर रहे हैं, को चिन्हित कर उन्हें अपने सुविधाजनक दायरे (**कम्फर्ट जोन**) से निकाल कर अन्य जेलों में स्थानान्तरण(**फ्लश आउट**) किया जाना, इस अभियान का तृतीय सोपान होगा। इस संबंध में भी त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जेल विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा जेल विभाग के साथ सुरक्षा ड्यूटी हेतु तैनात 13वीं बटालियन आर.ए.सी. के अधिकारी/कर्मचारीगण पूर्ण उत्साह, लगन, परिश्रम, ईमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठा से इस अभियान की पालना में कार्यवाही करेंगे तथा विभाग की छवि को पूर्णत: परिवर्तित करने की दिशा में सार्थक कार्यवाही करेंगे।

भवदीय,

ह0/-

(राजीव दासोत)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि-निम्नांकित को पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1-अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,कारागार,राजस्थान,जयपुर।
2-महानिरीक्षक पुलिस कारागार,राजस्थान,जयपुर।
3-महानिरीक्षक कारागार,राजस्थान,जयपुर।
4-उप महानिरीक्षक कारागार रेंज,जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
5-कमाण्डेन्ट,13वीं बटालियन,आर.ए.सी.,जयपुर।

ह0/-

९

महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

कारागार-3

क्रमांक-निरीक्षण/2020/ 55365-437 दिनांकः- 08.12.2020

प्रतिलिपि-अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,एस0ओ0जी0 एवं ए0टी0एस0,राजस्थान, जयपुर सूचनार्थ प्रेषित हैः-

08.12.2020

(राजीव दासोत)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं कारागृहों का निरीक्षण/तलाशी के दौरान दृष्टिगत रखने हेतु प्रेषित हैः-

1- पुलिस आयुक्त,जयपुर एवं जोधपुर
2- समस्त कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,राजस्थान
3- समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण एवं पुलिस उपायुक्त,राजस्थान

08.12.2020

महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर